

1506/14

नामित जनसूचना अधिकारी।

प्राधिकारी का नाम: श्री. प्रज्ञान प्रदी, भारत सरकार, नई दिल्ली

संस्था का नाम

6

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के प्राविधानानुसार प्रामाणिक प्रतियों के रूप में सूचना प्राप्त किये जाने हेतु आवेदनपत्र

महोदय,

आवेदक को उपरोक्त नमित अधिनियम एवं धारा के अंतर्गत निम्नांकित सूचनाओं का प्रामाणिक प्रतियों के रूप में आवश्यकता है उत्तर प्रदेश सूचना अधिनियम एवं लागत विनियम 2006 के नियम 04 के प्राविधानानुसार "प्राथमिकता" राशि के रूप में इस सूचना की धरणा अदायगी हेतु भारत

RECEIVED
1506
07/03/14
12/03/14

स्टेट बैंक पोस्टल ऑर्डर या S.F. 116832 दिनांक 4-3-2014
उपाध्यक्ष, श्री हम्मदी (खैरी) द्वारा दिनांक 4-3-2014 को जारी एवं, नई दिल्ली

कृपया सूचना अधिनियम 2005 की धारा 7(1)(3) के प्राविधानानुसार उक्त वांछित सूचनाओं निम्नलिखित रूप में "सूचना" प्राप्त सुधार की जानकारी भी आवेदक को अपने पत्र द्वारा तत्काल देना ताकत करें जिससे सूचना प्राप्त की जा सके।

वांछित सूचनाओं का विवरण निम्नांकित है:-
अमर उजाला खैरी दैनिक में दि. 22-2-2014 को प्रकाशित पेज नं. 12 पर प्रकाशित लेख जो भारतीय संसद दि. 22-2-14 को पारित प्रस्ताव जो निम्न लिखित है-
"यह संसद पाकिस्तान और पाक आर्मी के चरम आतंकीयों के विधियों पर गंभीर चिंता जताता है। मानना है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकीयों के हाथियों और धन की आपूर्ति के साथ-साथ आतंकीयों को भारत में सुसज्जित करने में मदद दी जा रही है। संसद भारत की जनता की ओर से चोषणा करता है कि पाक आतंकीयों भारत का आतंकीय प्रयोग कर रहे हैं। भारत अपने इस भाग को बिलग व्हा हुरसभव प्रयास करेगा। भारत में इस बात की पूर्णतः समझ और संकल्प है कि वह उन जापाक बुराओं का मुहताब जवाब दे, जो देश की शक्ति, प्रभुसत्ता और अखंडता के खिलफ हो, और आग करता है कि पाकिस्तान अम्मु-करमीर व उन इलाकों को खाली करे, जिसे उसने कब्जा पा हुआ है। भारत के आतंकीय मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को जवाब दिया जाएगा।"

MHA
MEK
M.D

प्रश्न - भारतीय संसद द्वारा उपरोक्त पारित प्रस्ताव दि. 22 फरवरी 1994 के संबंध में भारत सरकार द्वारा पिछले 20 वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये। प्रश्न के उत्तर से प्राप्ति को वी.श्री.वै.सी. अवगत कराने की कृपा करें।

IPONo, 2SF 116832 नं. 101

कृपया वांछित सूचनाएँ तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

दिनांक:- 4-3-2014
स्थान:- श्री हम्मदी (खैरी) उपप्र
संलग्न- उपरोक्तानुसार
मूल पोस्टल ऑर्डर,

आवेदक-
श्री. नरेंद्र कुमार रंजोरी
नाम एवं पता का नाम
श्री. नरेंद्र कुमार रंजोरी
पूर पता- बाजार गंज गोला रोड

का क्या हुआ



विवेक शुकला

edii@amarujala.com

भारत की कश्मीर नीति की रोशनी में 22 फरवरी, 1994 एक बेहद खासमखास दिन है। बीस साल पहले इसी दिन संसद ने एक प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर अपना हक जताते हुए कहा था कि यह भारत का अदृष्ट अंग है। पाकिस्तान को वह हिस्सा छोड़ना होगा, जिस पर उसने कब्जा जमा रखा है। संसद का वह प्रस्ताव मोटे तौर पर इस तरह था, यह सदन पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकियों के शिबिरों पर गंभीर चिंता जताता है। इसका मानना है कि पाकिस्तान को तरफ से आतंकियों को हथियारों और धन की आपूर्ति के साथ-साथ आतंकियों को भारत में घुसपैठ करने में मदद दी जा रही है। सदन भारत की जनता की ओर से घोषणा करता है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। भारत अपने इस भाग्य के विलय का हरसंभव प्रयास करेगा। भारत में इस बात की पर्याप्त क्षमता और संकल्प है कि वह उन नापाक इरादों का मुंहतोड़ जवाब दे, जो देश की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ हैं, और मांग करता है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के उन इलाकों को खाली करे, जिसे उसने कब्जाया हुआ है। भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी हस्तक्षेप का कठोर जवाब दिया जाएगा।⁽⁵⁾

कोई नहीं जानता कि बीस वर्षों में देश ने पीओके के विलय की दिशा में क्या कदम उठाए। बीते दिनों नवाज शरीफ ने अमेरिका दौरे के दौरान बराक ओबामा और दूसरे अमेरिकी नेताओं से कश्मीर मामले के हल का आग्रह किया। जय-जम्मू-कश्मीर भारत का अदृष्ट अंग है, तब वह कश्मीर मामले का क्या हल चाहते हैं?

विशेषज्ञों का मानना है कि सिमला समझौते की रोशनी में, जिसमें निबंधन रेखा को दोनों देशों के बीच सरहद के रूप में स्वीकार किया गया था, संसद में पारित प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। 1972 में वह समझौता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के वज़ीरे आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। उस समझौते के बाद अब दोनों देशों के नक्शे नहीं बदल सकते। उल्लेखनीय है कि जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, वह जम्मू का हिस्सा था, कश्मीर का नहीं। इसलिए उसे कश्मीर कहना ही गलत है। वहाँ की जुबान कश्मीरी न होकर डोगरी और मीरपुरी का मिश्रण है। अब चुंकि भारत और पाकिस्तान परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित देश हैं, इसलिए इस मामले के संयम समाधान की भी उम्मीद नहीं है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें, तो पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का पक्ष साफ हो जाएगा। विभाजन के बाद कश्मीर के महाराजा हरी सिंह भारत में अपने राज्य के विलय के प्रस्ताव को मान गए थे। विलय के उपरांत भारत को तत्कालीन कश्मीर राज्य के वर्तमान भाग पर अधिकार मिला। भारत का दावा है कि महाराजा हरी सिंह से हुई संधि के परिणामस्वरूप पूरे कश्मीर पर भारत का अधिकार है। इस कारण भारत का दावा पूरे कश्मीर पर सही है।

ऐसे में, हमारी सरकार से यह पूछना चाहिए कि संसद में पारित प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने के लिए वह क्या किसी तरह की कूटनीतिक पहल कर रही है। क्या उसे पाक अधिकृत कश्मीर के भारत में विलय के लिए युद्ध भी मंजूर है? यह क्यों न माना जाए कि सरकार ने इस संबंध में जो प्रस्ताव पारित किया था, वह देश की आंखों में धूल झांकने के समान था। अब तो पीओके में चीन की भी बड़ी उपस्थिति है। चीन के प्रधानमंत्री ली केचियांग के साथ हुई बातचीत के बाद नवाज शरीफ ने जिन आठ समझौतों पर दस्तखत किए, उनमें पीओके से होते हुए 200 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का समझौता भी है। पीओके से गुजरने वाले पाक-चीन आर्थिक गलियारे से चीन का रणनीतिक हित जुड़ा है। इस सुरंग के बनने से चीन की पश्चिम एशिया स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज तक पहुँचें सुगम होगी, जहाँ से दुनिया के एक तिहाई तेल का परिवहन होता है।

बीते दो दशकों के दौरान, केंद्र में संयुक्त मोर्चा, भाजपा और कांग्रेस की सरकारें



बीस साल पहले आज ही के दिन संसद ने पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में लेने का प्रस्ताव पारित किया था।

C-253263/14/14
13.03

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 12/03/2014

संख्या आरटीआई/1506/2014-पीएमआर

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री अश्विनी रस्तोगी से प्राप्त दिनांक 4.3.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 7.3.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(सैयद इकराम रिज़वी)

उप सचिव एवं

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

☎: 2307 4072

1. गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
2. विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
3. रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री अश्विनी रस्तोगी
पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार रस्तोगी
बाजार गंज गोला रोड
माहम्मदी जनपद लखीमपुर(खीरी)
उत्तर प्रदेश

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरणों से सम्पर्क करें।

D33 (K-D)

SM J

402/128/600/14

सं. 1

12

अर टी आई मानवोपनयन

1714

सं. ए-43020/01/2010 अर टी आई

भारत सरकार

बृह नगरलय

नई दिल्ली, दिनांक: 09/04/2014

कार्यालय ज्ञापन

अ/सचिव 2/राज्य/

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/शुद्ध आवेदन।

अधिनियम, 2005 के तहत सूचना सुधिया करने के

आवेदन नं. 402/128/600/14/03 के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना सुधिया करने के

आवेदन का निम्न प्रकार है, क्योंकि नवीं गड सूचना उक्त प्रश्न का विचारणन न संबंधित है किंतु नव से संबंध रखता है। यह अनुरोध किया जाना है कि जोटे विषय-वस्तु का संबंध किसे उक्त केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक का सूचित करते हुए आवेदन को जहाँ उक्त प्राधिकारी को अनुरोधित/सौंपित कर दिया जाये।

2. आवेदक नं. 104 स. का निर्धारित शुल्क दिनांक 09/04/2014 के रसीद नं. के तहत जमा कर दिया है (सिलबन) क्योंकि किंचित है क्योंकि वह न के लिए कमी से संबंध रखता/रखती है।

सु. साहू

(सच. सचिव)

अवर सचिव, भारत सरकार

सं. 1714

URGENT

SO (K-II)

22/4

सं. 1714 (क-1)

अ/सचिव

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/शुद्ध

अ/सचिव 2/राज्य/ सं. 402/128/600/14/03

अ/सचिव 2/राज्य/ सं. 402/128/600/14/03

SO (K-II)

Received at P-35 dt: 1.5.2014

1-K-III 10/4/2014

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

RTI matter

No.13026/45/2014-K.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Department of J&K Affairs)

PUC is a copy of application dated 4.3.2014 from Shri Ashwani Rastogi under RTI Act, 2005 of forwarded by RTI Section with request to provide information details are given below of the application in respect of J&K Division:

"A news item published on 22.2.2014 in Amar Ujala, Bareilly regarding running of Terrorist Camp in Pakistan and PoK".

2. This Desk is not maintaining/concerned with any such information. The application may be transferred to DS(K-III) as per DFA.

Miser
25/4/14

~~DS(K-III)~~

Received with DSCK-I). As the subject matter/information sought for pertains to K-II Division, the same may be forwarded to them.

~~SO(K-II)~~

RTI application has been forwarded to K-II - Division.

Miser
29/4/14

Qui
29/4/14

RTI matter

No.13026/45/2014-K.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Department of J&K Affairs)

PUC is a copy of application dated 4.3.2014 from Shri Ashwani Rastogi under RTI Act, 2005 of forwarded by RTI Section with request to provide information details are given below of the application in respect of J&K Division:

"A news item published on 22.2.2014 in Amar Ujala, Bareilly regarding running of Terrorist Camp in Pakistan and PoK".

2. This Desk is not maintaining/concerned with any such information. The application may be transferred to DS(K-III) as per DFA.

Mser
25/4/14

~~DS(K-III)~~

Referred with DSCK-I). As the subject matter/information sought for features to K-II Division, the same may be forwarded to them.

~~DS(K-II)~~

RTI application has been forwarded to K-II - Division.

Mser
29/4/14

Qin
29/4/14

F.No.13030/9/2014-K.II
Government of India
Ministry of Home Affairs
K-II Desk

Room No. 92 B
North Block, New Delhi.
Dated: 5th May, 2014.

To

Shri Ashwani Rastogi,
S/o Sh. Narender Kumar Rastogi,
Bazar Ganj Gola Road,
Mohammdi Janpad Lakhimpur Khiri,
Uttar Pradesh.

Sub: Application dated 04.03.2014 of Shri Ashwani Rastogi seeking information under RTI Act, 2005

Sir,


Please refer to your RTI application dated 04.03.2014 addressed to CPIO, PMO, which has been received in this section on 17.04.2014 through RTI Cell of MHA seeking therein information under RTI Act, 2005.

2. As far as Kashmir Division of Ministry of Home Affairs is concerned, the various action taken by Govt. to control the infiltration from Cross Boarder is as under:-

"The Government in tandem with the State Government, have adopted a multi-pronged approach to contain cross border infiltration, which includes, inter-alia, strengthening of border management and multi-tiered and multi-modal deployment along international border/line of control, and infiltration routes, construction of border fencing, improved technology, weapons and equipments for security forces, improved intelligence and operational coordination, synergizing intelligence flow to check infiltration and pro-active action against the terrorists within the States. The counter infiltration efforts are reviewed periodically at various levels in the State Government and in the Central Government."

3. The Appellate Authority in this matter is Shri R.K. Srivastava, Joint Secretary (Kashmir), Room No. 127-A, North Block, New Delhi.

Yours faithfully,



(Mrs. Sulekha)
Deputy Secretary & CPIO
Tel.No. 23092696

Copy for information to Under Secretary, RTI Section, MHA, North Block, New Delhi, w.r.t. their O.M No. A.43020/01/2014-RTI dated 09.04.2014.

Handwritten signature and date: 06/5/14.